बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः– संoसंo–03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)–02/2015......................../ पटना, दिनांक......................

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्त्ति/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्त्ति/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा। जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलबध है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

5. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृत्यादेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

क्रमशः पृष्ट–02...

7. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं0 सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 187/टि0 पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................../ पटना, दिनांक–..................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................../ पटना, दिनांक–..................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2060/ पटना, दिनांक–11-6-18
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय– व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/2018
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

7/6/18

13